

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0प्र0

1250 तुलसी नगर भोपाल462003

फैक्स 2552665 ई-मेल dpswbpl@mp.nic.in

क्रमांक/सामा.सहा./मु.मं.क.यो./9/2016/ 109

भोपाल, मिनार्क 28.1.2016

प्रति:

संयुक्त संचालक,(योजना)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विधान बोर्ड
26, किसान भवन अरेरा हिल्स जेल रोड
भोपाल।

दिष्ट:- मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि
प्रदान करने वाले।

संदर्भ:- आपकापत्र क्रमांक/ याड/ यो./ म0प्र0 / ६०८०/ १४-पार्ट/ १५-१० / ३८१४ दिनांक 15.1.2016-

क्रमांक १५५
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। जिसके द्वारा
मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजना के संबंध में नई दोहरे द्वारा संबंधित हन्माल एवं
तुलादर्टी सहायता योजनान्तर्गत विवाह सहायता में हन्माल एवं तुलावटियों की मुक्रियों
का विवाह रामूहिक विवाह के स्थान पर एकल विवाह लिये जाने पर मध्य प्रदेश
शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग के पत्र क्रमांक एक ३-४/२०१३
शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन विभाग के पत्र क्रमांक एक ३-४/२०१३
/ २६-२ दिनां १/१/२०१४ में दी गई राशि रुपये २५०००/- में कोन-कोन सी राशि
दी जाना है के संबंध में मार्ग दर्शन चाहा गया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजनान्तर्गत रामूहिक विवाह के अंतर्गत

मिनानुसार राशि दोहरा की जाती है-

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सामग्री | राशि रुपये ५०००/- |
| 2. | कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिये | राशि रुपये १०००/- |
| 3. | ५ वर्ष तक के लिये साक्षि जमा | राशि रुपये १०००/- |
| 4. | कन्या की गृहस्थी के लिये आवश्यक सामग्री हेतु कन्या के खाते में विवाह के १ दिन बाद जमा की जाती है। | राशि रुपये १०००/- |
| 5. | विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु धम्पति की प्रतिष्ठाने के राशि रुपये ३०००/- | |

योग राशि रुपये २५०००/-

क्रमांक २११८
मुख्यमंत्री कन्यादान/ निकाह योजनान्तर्गत रामूहिक विवाह के अंतर्गत
हन से कम ५ कन्याओं का विवाह होना आवश्यक है। एकल विवाह के लिये सारी
स्वीकृत लिये जाने का प्रावधान नहीं है।

2११८
(आलोक शर्मा)

उपसंचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
म0प्र0